

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय—आदेश

श्रीमती सुशीला चौहान राउमायि फीच, जोधपुर पदनाम व्याख्याता (राज.विज्ञान)जन्मतिथि 12.02.1960 को निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 12.11.2019 से 26.11.2019 तक 14 दिवस की विदेश यात्रा (सिंगापुर, मलेशिया व थाईलैंड) जाने की अनुमति निम्नांकित रातों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:-

1. कार्मिक साक्षम अधिकारी रो अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् अपने यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि रो अधिक नहीं हएंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य रथान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। रवीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य रथान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य रो जानबृक्षकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 88 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अगले गों लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. साक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंदे:—
(अ) कार्मिक के अवकाश पर जाने रो कार्यालय/रांथा का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रगावित नहीं होगा।
(ब) कार्मिक द्वारा अपना कार्यमार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
(स) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
(द) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लगित/विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृति अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता भय मोबाइल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
9. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

(नर्थमल डिल्लै)

IAS

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 14 / 11 / 19

क्रमांक:— शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राजविज्ञान/विदेश अनुज्ञा/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।
4. संबंधित प्रधानाचार्य, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक द्वारा आवेदन अवकाश प्रार्थना पत्र नियमानुसार स्वीकृत कर विदेश यात्रा हेतु प्रस्थान करावें।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर